

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 13239 / 4918

दिनांक :- 08-01-2020

कार्यालय आदेश

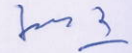
श्री विशाल रत्नु कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी(ग्रामीण)जोधपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 02/01/2019 से 24/01/2019 तक 23 दिवस  
(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 27/05/2019 से 04/06/2019 तक 9 दिवस  
(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 32 दिवस

उक्त कुल 32 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विशाल रत्नु की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 13239 / 4918

दिनांक :- 08-01-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी(ग्रामीण) जोधपुर
2. कोषाधिकारी जोधपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री विशाल रत्नु [13239] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी(ग्रामीण) जोधपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11651 / 4919

दिनांक :- 08-01-2020

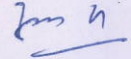
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री वंदना कुमारी [लिंक न. 11651] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, दौसा - [1103] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 06/08/2018 से 06/08/2018 तक 1 दिवस  
दिनांक 27/08/2018 से 27/08/2018 तक 1 दिवस  
दिनांक 26/09/2018 से 28/09/2018 तक 3 दिवस  
दिनांक 05/11/2018 से 05/11/2018 तक 1 दिवस  
दिनांक 10/12/2018 से 10/12/2018 तक 1 दिवस  
दिनांक 12/02/2019 से 13/02/2019 तक 2 दिवस  
दिनांक 06/03/2019 से 08/03/2019 तक 3 दिवस

कुल 12 दिवस

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री वंदना कुमारी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11651 / 4919

दिनांक :- 08-01-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, दौसा
2. कोषाधिकारी दौसा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री वंदना कुमारी [11651] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, दौसा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)